02/विविध-98/2018

बिहार सरकार

(परिवहन विभाग)

*****

पत्रांक--02/विविध-98/2018, परि0 3233 **पटना, दिनांक–** 14/5/18

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :— अशक्त व्यक्तियों के वाहन के निबंधन के लिए मोटरवाहन कर से विमुक्ति के संबंध में संसूचन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक–3005, दिनांक–27.05.2014 का संदर्भ लेना चाहेंगे। उपर्युक्त के क्रम में कहना है कि बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5 की अनुसूची–1, भाग–ग के क्रम संख्या–01, जो अशक्त व्यक्तियों के वाहनों के लिए कर अधिरोपित किये जाने से संबंधित है, को बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) की धारा–13 द्वारा विलोपित किया जा चुका है।

अतः अशक्त व्यक्तियों की सुविधा हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–2(18)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा–13 के प्रावधानों के अनुसार अशक्त व्यक्तियों के वाहनों हेतु करों में शत्–प्रतिशत छूट देते हुए वाहनों का निबंधन करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/- 14/5/18

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Phone No.:- 0612-2546449, Fax :- 0612 - 2546?12, E-mail:- transecy-bih@nic.in